

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक:सा0- 1611 /मी0क्ष0/33, दिनांक, मीरजापुर, अक्टूबर 09, 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय: जनपद-सोनभद्र में हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रेणुसागर पावर डिवीजन), रेणुसागर को 132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाईन हेतु हस्तांतरित 38.2591 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के पट्टे का 25 वर्षों के लिये नवीनीकरण के संबंध में।

संदर्भ: आपका पत्रांक-521/11-सी-एफपी/ यूपी/ट्रांस/18048/ 2016 दिनांक 05.09.2018 तथा प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट का पत्रांक-1288/रेनु0/15 दिनांक 08.10.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण में उल्लिखित 14 बिन्दुओं की कमियों / अभिलेखों का निराकरण हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के अनुपालन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-1196/मी0/ दिनांक 22.09.2018 द्वारा निर्देशित किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्रांक-1288/रेनु0/15 दिनांक 08.10.2018 (छायाप्रति संलग्न है) द्वारा उल्लिखित बिन्दु की आपत्तियों का निराकरण कर मय अभिलेखों के संलग्नक सहित (टेबुलर फार्म) में निम्नप्रकार प्रेषित किया गया है।

क्रमांक	विवरण	प्रभाग की अनुपालन आख्या
1	प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न है किन्तु उस पर शीर्षक त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है।	प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का संलग्न रंगीन मानचित्र का शीर्षक ठीक कर दिया गया है।
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है किन्तु निरीक्षण तिथि अंकित नहीं है तथा पैरा ए के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में निरीक्षण तिथि अंकित कर स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है तथा पैरा ए के बारे में उत्तर दे दिया गया है।
3	प्रस्तावित वनभूमि का Geo Referenced Digital Map संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित वनभूमि के संलग्न Geo Referenced Digital Map पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
4	प्रभावित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न किया गया है किन्तु प्रत्येक पृष्ठ पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रभावित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन के प्रत्येक पृष्ठ पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा

		हस्ताक्षर कर दिये गये है।
5	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित Geo Referenced Digital Mapसंलग्न है किन्तु मूल में नहीं है तथा kml fileकी सीडी भी संलग्न नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित Geo Referenced Digital Mapमूल में तथा kml fileकी सीडी भी संलग्न कर दी गई है।
6	ऑनलाईन भाग-2 में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की Sol Toposheet के स्थान पर प्रस्तावित वनभूमि की Sol Toposheet अपलोड की गयी है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः ऑनलाईन भाग-2 के क्रमांक-13 (iv) में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित Sol Toposheet अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि ऑनलाईन भाग-2 में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की Sol Toposheet अपलोड कर दी गयी है, तथा ऑनलाईन भाग-2 के क्रमांक-13 (iv) में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित Sol Toposheet अपलोड कर दिया गया है।
7	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में संलग्न नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर दिया गया है।
8	प्रस्तावित वनभूमि के एन.पी.वी. में संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान करने की वचनबद्धता जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित वनभूमि के एन.पी.वी. में संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान करने की वचनबद्धता जो अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है, संलग्न कर दिया गया है।
9	ऑनलाईन भाग-2 में हरियाली घनत्व 0.8 तथा हार्ड कापी भाग-2 में हरियाली घनत्व शून्य अंकित किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान उचित हरियाली घनत्व अंकित करते हुये संशोधित भाग-2 संलग्न करें तथा तदनुसार NPV की दर से NPV की गणना प्रस्ताव में संलग्न की जायें।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि ऑनलाईन भाग-2 में हरियाली घनत्व तथा हार्ड कापी भाग-2 में एक समान उचित हरियाली घनत्व अंकित करते हुये संशोधित भाग-2 तथा तदनुसार NPV की दर से NPV की गणना प्रस्ताव में संलग्न कर दी गयी है।
10	पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु सहमति अवधि दिनांक 31.12.2017 को समाप्त हो चुकी है। अतः संशोधित पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि संशोधित पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसकी सहमति अवधि दिनांक 31.12.2019 तक है प्रस्ताव में संलग्न कर दी गयी है।

11	गजट नोटिफिकेशन की प्रमाणित प्रति संलग्न है किन्तु चिन्हित नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि संलग्न प्रमाणित गजट नोटिफिकेशन की प्रति में ग्राम चिन्हित कर दिया गया है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा फार्म-ए का पार्ट-1 व फार्म-बी का पार्ट-1 अपलोड कर संलग्न किया गया है, जो कि विरोधाभाष है। अतः स्थिति को स्पष्ट करते हुये पार्ट-1 संलग्न करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित फार्म-बी का पार्ट-1 अपलोड कर दिया गया है।
13	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-5 एवं 6 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः उचित डाटा फीड करते हुये संशोधित ऑनलाईन भाग-2 प्रस्ताव की तीनों प्रतियों में संलग्न करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-5 एवं 6 में उचित डाटा फीड करते हुये संशोधित ऑनलाईन भाग-2 प्रस्ताव की तीनों प्रतियों में संलग्न कर दी गई है।
14	ऑनलाईन भाग-2 के क्रमांक-13 (iii) में क्षतिपूरक वनीकरण के Geo Referenced Digital Map के स्थान पर Sol Toposheet अपलोड की गयी है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13 (iii) में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की सत्यापित Geo Referenced Map अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13 (iii) में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की सत्यापित Geo Referenced Map अपलोड कर दिया गया है।

अतः प्रश्नगत मामले में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट द्वारा प्रेषित बिन्दुवार आख्या एतदसह संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा० प्रभाकर दूबे)

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या 1411 अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि : प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(डा० प्रभाकर दूबे)

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

Recd. Model copy